(ख) क्या इन राज्यों के आवास बोर्डों ने वर्ष 1973–74 के दौरान विशेष ऋण मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक बोर्ड ने कितनी-कितनी धनराशि की माग की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जीवन बीमा निगम ने मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के राज्य आवास बोर्डों को 1972–73 तथा 1973–74 में कोई ऋण नहीं दिया। तथापि, जीवन बीमा निगम ने गुजरात आवास बोर्ड को 1972–73 में 1.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। गुजरात आवास बोर्ड को 1973–74 में जीवन बीमा निगम ने कोई ऋण नहीं दिया था।

(ख) और (ग). केवल गुजरात आवास बोर्ड ने 1973–74 में 2.00 करोड़ रुपये के विशेष ऋण की मांग की थी।

कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व

1751. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग में किसानों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से बार-बार मांग की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग मे किसानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सदस्य समय-समय पर माग करते रहे है। किसानो के एक प्रतिनिधि को कृषि मूल्य आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाने संबंधी प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया है और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

Central Directive on Disorders due to Land Reform in States

1752. SHRI INDRAJIT GUPTA:
SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in certain States the rich peasants and landlords had taken to arms and violence against land reform and procurement;

(b) whether there are reports regarding this in press from Bihar, West Bengal, Gujarat and Maharashtra;

(c) if so, the facts thereof and the steps taken against them; and

(d) whether the Central Government has given any directive to the States against it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.